

16	डर्मटोलॉजी, वेनेरोलाजी एण्ड लेप्रोसी	1	अनारक्षित	(62)	1	अनारक्षित	(92)	1	एस0सी0	(121)
17	न्यूरो-एनेस्थीसिया, आई.सी.यू. (पीएमएसएसवाई)	1	एस0सी0	(41)	1	ओ0बी0सी0	(43)	1	अनारक्षित	(66)
18	न्यूरो-एनेस्थीसिया, आई.सी.यू. (पीएमएसएसवाई)	1	एस0सी0	(41)	1	ओ0बी0सी0	(43)	1	अनारक्षित	(66)
19	न्यूरो-रेडियोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	1	ओ0बी0सी0	(67)
20	न्यूरो-अपथलमोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	एस0सी0	(45)	0	0	0
21	न्यूरो-पैथालॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(68)
22	नेफोलॉजी,	1*	ओबीसी	(27)	0	0	0	0	0	0
23	नेफोलॉजी, (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0	1	एस0सी0	(69)
24	पीडियाट्रिक्स	1	अनारक्षित	(64)	1	अनारक्षित	(94)	1 (महत्त्वपूर्णकालेज)	ई0डब्ल्यूएस0	(30)
					1	ओ0बी0सी0	(95)	1	अनारक्षित	(122)
					1	अनारक्षित	(96)	1	ओ0बी0सी0	(123)
					1	एस0टी0	(97)	1	अनारक्षित	(124)
					1	अनारक्षित	(98)	1	एस0सी0	(125)
					1			1	अनारक्षित	(126)
					1			1	ओ0बी0सी0	(127)
					1			1	अनारक्षित	(128)
					1			1	ओ0बी0सी0	(129)
					1			1	ई0डब्ल्यूएस0	(130)
					1			1	अनारक्षित	(156)
					1			1	ओ0बी0सी0	(157)
25	पेन-मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	एस0टी0	(47)	1	ओ0बी0सी0	(71)
	पैथालॉजी	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(158)
								1	एस0सी0	(159)
								1	ई0डब्ल्यूएस0	(160)
								1	ओ0बी0सी0	(161)
26	फार्माकालॉजी	1	एस0सी0	(49)	1	एस0सी0	(25)	1 (फार्मास्यूटिकल केमिस्ट)	अनारक्षित	(32)
					1	अनारक्षित	(34)	1	अनारक्षित	(132)
								1	अनारक्षित	(162)
27	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	1	एस0सी0	(73)
28	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(46)
								1	ओ0बी0सी0	(133)
								1	एस0सी0	(163)
								1	अनारक्षित	(164)
29	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	अनारक्षित	(134)
								1	ओ0बी0सी0	(165)
30	बायोकेमिस्ट्री	1	अनारक्षित	(34)	1	एस0सी0	(99)	1 (हिस्टो पैथालॉजी)	एस0सी0	(35)
		1	ओ0बी0सी0	(51)				1	एस0सी0	(135)
								1	अनारक्षित	(136)
31	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	ओ0बी0सी0	(137)
								1	ओ0बी0सी0	(139)
								1	अनारक्षित	(166)
								1	ओ0बी0सी0	(167)
32	मेडिकल गैट्रोइन्ट्रोलाजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	ई0डब्ल्यूएस0	(50)	1	अनारक्षित	(74)
33	रेडियोलॉजी	1	ओ0बी0सी0	(37)	1	ई0डब्ल्यूएस0	(30)	1	अनारक्षित	(36)
					1	ई0डब्ल्यूएस0	(100)	1	ओबीसी	(37)
					1	एस0सी0	(101)	1	अनारक्षित	(38)
								1	अनारक्षित	(56)
34	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(66)	1	अनारक्षित	(102)	1	ई0डब्ल्यूएस0	(140)
					1	ओ0बी0सी0	(107)			
		22			55			113		

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रु०-1,35,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन रु०-1,20,000/- तथा सहायक आचार्यों को नियत वेतन रु०-90,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी=11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं०-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती अभ्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्ण में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेशान सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन मुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जायेंगी।
- उ०प्र०शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ई०डब्ल्यूएस० (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय रु० 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिन्त अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एन०एम०सी० गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज कानपुर

251

सं- / संदिनांक

- प्रतिनिधि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजिए।
- 1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के साथ भेजिए कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने को कृपा करें।
 - 2- सम्पन्न प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, काणपुर।
 - 3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, डा. 00 काणपुर।
 - 4- मेडिकल अधिकारी हेतु साइट, मेडिकल कालेज, काणपुर का एक निर्देश के साथ भेजिए कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, काणपुर